दिनांक 30.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 45/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सुरक्षित महिला, सशक्त प्रदेशः मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा समस्त थानों पर ''Wall of Dreams'' कार्यक्रम का किया गया आयोजन

मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत व्यापक जागरूकता एवं अपराधियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में **पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्णा** के द्वारा प्रदेश भर में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत व्यापक जागरूकता, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, हेल्प लाइन सेवाओं के प्रचार–प्रसार, बच्चियों/बालिकाओं के विरूद्ध अपराधों में संलिप्त अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी, गुमशुदा/भटके हुये बच्चों/बालिकाओं/महिलाओं की बरामदगी एवं आपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत प्रभावी पैरवी करते हुये शीघ्रातिशीघ्र कठोर सजा दिलाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में मिशन शक्ति फेज–5.0 के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों पर ''Wall of Dreams'' कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य–छात्राओं को अपने सपनों इच्छाओं एवं भविष्य की योजनाओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने का अवसर देना है, ताकि समाज में उनकी आवाज और भी सशक्त हो सके।

उपरोक्त कार्यक्रम के लिये थानों पर एक दीवार चिन्हित की गयी, जिस पर सफेद पेन्ट किया गया है, जिस पर छात्राओं द्वारा अपने पन्जों के निशान (हाथों की छाप) दीवार पर लगाकर अपने सपनों और आकाक्षाओं को व्यक्त किया गया।

''Wall of Dreams'' पर लगे रंग बिरंगे पन्जों के निशान महिलाओं के उज्जवल भविष्य, सुरक्षा एवं सम्मान का प्रतीक बने।

मिशन शक्ति अभियान के तहत संचालित यह पहल महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दिनांक: 29.09.2025

चन्दौली पुलिस

मिशन शक्ति फेज-5.0

Wall Of Dreams

थाना चन्दौली

थाना मुगलसराय

थाना अलीनगर

थाना कंदवा

थाना बबुरी

थाना शहाबगंज

महिला थाना

थाना बलुआ

दिनांक 30.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 46/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मऊ/थाना मुहम्मदाबाद गोहना

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 17 हजार 150 रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 29-09-2025 को थाना मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सौसरवां भैसंहा से भुजही की तरफ जाने वाले रास्ते पर बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–राजन घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–नवनीत उर्फ अर्पित 3–सर्वेश 4–आदर्श सहित गिरफ्तार किया गया एवं एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 17 हजार 150 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23-09-2025 को थाना मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मुहम्मदाबाद गोहना पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राजन के विरूद्ध जनपद गाजीपुर, मऊ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग, अभियुक्त

सर्वेश के विरूद्ध जनपद मऊ के विभिन्न थानो में मऊ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग एवं अभियुक्त आदर्श के विरूद्ध जनपद गाजीपुर, मऊ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मुहम्मदाबाद गोहना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजन निवासी कोटवा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

2–नवनीत उर्फ अर्पित निवासी बढ़ुआ गोदाम थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

3–सर्वेश निवासी पिपरी मडैया थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

4–आदर्श निवासी नखतपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1–लूट के 17 हजार 150 रूपये नगद।

2–03 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–02 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364ए भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राजू 2–काले उर्फ इरशाद 3–जितेन्द्र कुमार उर्फ हरियाली 4–रामजी को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना दरगाह शरीफ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना दरगाह शरीफ पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–नदीम 2–दाऊद को धारा 302/34 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं 3–अभियुक्ता को धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना रसूलपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना रसूलपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/394/411 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दिलीप उर्फ दीपा को आजीवन कारावास व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद श्रावस्ती/थाना गिलौला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना गिलौला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अशोक धर को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना विजयनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गाजियाबाद द्वारा थाना विजयनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/498ए भादवि

के अन्तर्गत अभियुक्त लोकेश को आजीवन कारावास व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना इन्दिरापुरम (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गाजियाबाद द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुमित कुमार को आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना मड़ियाहूँ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना मड़ियाहूँ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त इस्लाम को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना रामनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 13 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना रामनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/504/506 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त हरिओम को सश्रम आजीवन कारावास व 13 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना नारखी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना नारखी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/34/427

/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–श्रीकृष्ण उर्फ टिन्डोपाल 2–सुखदेव 3–बीटू 4–प्रमोद को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना चोपन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना चोपन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विनोद को 10 वर्ष के कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————